



1. वाहन को रोक/सेवान गही करेगा।
2. बीमा बाधक समाप्त होने के पूर्व वाहन का बीमा रिन्यूवल करवायेगा।
3. वाहन का रजिस्ट्रेशन परिवर्तित गही करेगा।
4. लकड़ी व्यापार तथा वाहन को अपने चक्के पर वाहन साइड हेतु पेश करेगा।
5. वाहन का न्याय के व काल से रोजीन फीस विपदाकर पेश करेगा।

पञ्जाबी आदेश की पालना में दिनांक 16/9/22 को पेश की



जिला कलक्टर
बारां (राज.)

16/9/22

पञ्जाबी पेश हुई बिम्बाएफ पानी के आदेश दि. 13/9/22 की पालना के सुपुर्देगी तथा व जमानतनामा तथा वापस पर न्याय रोजीन फीस वाहन पेश किये। सुपुर्देगी तथा व जमानतनामा लकीक किये जाकर था। फा. किये गये। शान्ताधकरी बारां सदर को लिखा जावे कि यदि कार. नं. 2150 215532 कन्य किसी प्रकार में वांछित कावे तो जहाँ आसिफ खान पुत्र अब्दुल क़रीम ज़ाहि खसखान गिपसी लकड़ मूल के पास रावशाहिदा शी फुल कोशु शान्ताधकरीपोल कोशु हाल रावपुल कोलीन नैयसता इंदिर के पास अनंतपुरा कोशु शान्ताधकरी कोशु को सुपुर्दे कर नसीदकन्या व्यापार में पेश करे। शिपथपु के स. सुपुर्दे किये वाहन का फा. रहु केसपु शान्ताधकरी बारां सदर को लायई जावे। पञ्जाबी फुसल सुभार वकर गकर सेकम के बाद तामील बिमिलेस में पेश की


उ. रानी




जिला कलक्टर